रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3562] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 31, 2019/कार्तिक 9, 1941
No. 3562] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 31, 2019/ KARTIKA 9, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2019

का.आ. 3954(अ).—केंद्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 30 की उप-धारा (3) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चाय अपशिष्ट (नियंत्रण) आदेश,1959 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम चाय अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2019 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. चाय अपशिष्ट (नियंत्रण) आदेश, 1959 (जिसे इसके पश्चात् मूल आदेश कहा गया है) के खण्ड 3 में परंतुकों को लोप किया जाएगा।

3. मूल आदेश में, खंड 4 को उस खंड के उप-खंड (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और,

(क) इस प्रकार पुनः संख्याकित उप-खंड (1) की मद के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा अर्थात्:-

"(ग) कैफीन, त्वरित चाय, बायो न्यूट्रिएंट और जैव उर्वरक के विनिर्माण में उपयोग द्वारा:

परंतु कैफीन के विनिर्माण के लिए चाय अपशिष्ट के विकृतिकरण की प्रक्रिया को बोर्ड के अनुमोदन से समय-समय पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा ;";

(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप-खण्ड (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-खंड अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(2) केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, अनुज्ञापन प्राधिकारी समय-समय पर निर्यात की जाने वाली चाय अपशिष्ट की प्रतिशतता को विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।"।

[फा. सं. टी-12019/1/2016-बागान(क)]

दिवाकर नाथ मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सा.का.नि संख्या 354 तारीख 18 मार्च, 1959 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती निम्नलिखित संशोधन किए गए:-

(1) सा.का.नि. 848, तारीख 29 जून, 1961;
(2) सा.का.नि. 235, तारीख 04 फरवरी, 1964;
(3) सा.का.नि. 457, तारीख 03 अप्रैल, 1975;
(4) सा.का.नि. 507, तारीख 24 मार्च, 1979;
(5) सा.का.नि. 1318, तारीख 03 नवम्बर, 1979;
(6) सा.का.नि. 763(अ), तारीख 23 दिसम्बर, 1998;
(7) सा.का.नि. 629(अ) तारीख 31 अगस्त, 2001;
(8) सा.का.नि. 167(अ), तारीख 05 मार्च, 2002;
(9) का.आ. 3320(अ), तारीख 25 अक्तूबर, 2016 और
(10) का.आ. 4028(अ), तारीख 20 अगस्त, 2018 ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2019

S.O. 3954(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (5) of section 30 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the Tea Waste (Control) Order, 1959, namely:-

1. **Short title and commencement.—**(1) This Order may be called the Tea Waste (Control) Amendment Order, 2019.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Tea Waste (Control) Order, 1959, (hereinafter referred to as the principal Order), in clause 3, the provisos shall be omitted.

3. In the principal Order, clause 4 shall be renumbered as sub-clause (1) of that clause and,

(a) in sub-clause (1) as so renumbered, for item *(c),* the following shall be substituted, namely;-

"*(c)* by utilising in the manufacture of caffeine, instant tea, bio nutrient and bio fertilizer:

Provided that the procedure of denaturing of tea waste for the manufacture of caffeine shall be specified by the licensing authority with the approval of the Board from time to time;";

(b) after sub-clause (1) as so renumbered, the following sub-clause shall be inserted, namely:-

"(2) The licensing authority, with the approval of the Central Government, may specify the percentage of tea waste to be exported from time to time.".

[F. No. T-12019/1/2016-Plant(A)]

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published *vide* notification number G.S.R. 354 dated the 18th March, 1959 and subsequently amended as follows:-

(1) G.S.R. 848 dated the 29th June, 1961;
(2) G.S.R. 235 dated the 4th February, 1964;
(3) G.S.R. 457 dated the 3rd April, 1975;
(4) G.S.R. 507 dated the 24th March, 1979;
(5) G.S.R. 1318 dated the 3rd November, 1979;
(6) G.S.R. 763 dated the 23rd December, 1998;
(7) G.S.R. 629 dated the 31st August, 2001;
(8) G.S.R. 167 dated the 5th March, 2002;
(9) S.O. 3320 (E) dated the 25th October, 2016; and
(10) S.O. 4028 (E) dated the 20th August, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.11.02 11:09:32 +05'30'